इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 नवम्बर 2012—कार्तिक 18, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-485-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 12 एवं 13 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. आर. नायडू, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सार्वजनिक उपक्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. आर. नायडू सार्वजनिक उपक्रम विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनाकं 12 से 24 नवम्बर 2012 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 10, 11 एवं 25 नवम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री अन्टोनी जे.सी. डिसा, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, गृह विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अन्टोनी जे. सी. डिसा, गृह विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-823-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती शशि कर्णावत, आयएएस, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 15 से 23 अक्टूबर 2012 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशि कर्णावत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शशि कर्णावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शशि कर्णावत, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-818-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस, अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग को दिनांक 15 से 26 अक्टूबर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त (राजस्व) जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-834-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रजनी उईके, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रजनी उईके को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रजनी उईके को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रजनी उईके, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. ई. 5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 1 से 7 नवम्बर 2012 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री राहुल जैन की अवकाश अवधि में श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत होशंगाबाद

को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर जिला होशंगाबाद का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राहुल जैन द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-886-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस, अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2012 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21 एवं 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा दिनांक 25 से 29 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 26 से 28 सितम्बर 2012 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. ई-5-547-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शैलेन्द्र सिंह, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 15 से 19 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेन्द्र सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेन्द्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-910-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती शनमुगा प्रिया आर., आयएएस., सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली को दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2012 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 27, 28 एवं 29 अक्टूबर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शनमुगा प्रिया आर.को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शनमुगा प्रिया आर. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. बी-1-90-2012-2-एक.—सुश्री अंजली सिंह ठाकुर (आर आर 2012), राप्रसे परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टर, रायसेन ने आवेदन पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 द्वारा विवाहोपरांत उप नाम श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने का अनुरोध किया है.

(2) राज्य शासन, एतद्द्वारा सुश्री अंजली सिंह ठाकुर, राप्रसे के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनका नाम सुश्री अंजली सिंह ठाकुर के स्थान पर श्रीमती अंजली शाह पत्नी श्री नीलमणि शाह परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) उपरोक्तानुसार उप नाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अंजली शाह के सेवा अभिलेखों में की जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विद्या भोसले, अवर सचिव, 'कार्मिक'.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

एफ. क्र. 11-02-2010-सात-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-4-2011-एम एण्ड जी दिनांक 20 सितम्बर, 2012 द्वारा संसूचित अनापत्ति अनुसरण में राज्य शासन एतद्द्वारा सीहोर जिले के बुदनी तहसील के ग्राम "सुड़ानिया" का नाम परिवर्तित कर "श्यामनगर" करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 11-02-2010-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 11-02-2010-सात-6, दिनांक 19 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th October, 2012

F.No. 15-02-2010-Seven-6.—In pursuance of no objection conveyed by Govt. of India, Ministry of Home Affairs vide their letter No. 11-4-2011-M & G dated 20 September, 2012 the State Government hereby change the name of village of "SUDANIA" tahsil Budni, district Sehore as "SHYAMNAGAR" with immediate effect.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012

फा. क्र. 1-5-96-3108-2012-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-21-ब (एक), दिनांक 12 अप्रैल, 2012 को जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 20 अप्रैल, 2012 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में, नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) ग्वालियर (2) गुना (3) शिवपुरी (4) छतरपुर (5) दतिया (6) अशोकनगर (7) भिण्ड.

F. No. 1-5-96-3108-2012-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-XXI-B (1), dated 12th April, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 20th April, 2012, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Gwalior (2) Guna (3) Shivpuri (4) Chhatarpur (5) Datia (6) Ashoknagar (7) Bhind.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

फा. क्र. 1(बी)-8-2004-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2010 द्वारा नियुक्त श्री किशोर श्रीवास्तव, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, पन्ना के कार्यकाल दिनांक 23 अक्टूबर 2011 को समाप्त होने के पश्चात् उसे दिनांक 23 अक्टूबर 2011 से 22 अक्टूबर 2014 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु पुर्ननियुक्त इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री किशोर श्रीवास्तव की जन्म तिथि 27 अप्रैल 1969 सत्ताईस अप्रैल उन्नीस सौ उनहत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 27 अप्रैल 2031 सत्ताईस अप्रैल दो हजार इक्कतीस को पूर्ण होगी).

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी) 08-2012-एट्रोसिट-इक्कीस-ब(2)-**शुद्धि-पत्र.**—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2012 जो ''मध्यप्रदेश राजपत्र'', भाग-1, दिनांक 2 नवम्बर 2012 में पृष्ठ क्रमांक 3879 में प्रकाशित हुई है, में शब्द ''श्री निदेश शर्मा'' के स्थान पर शब्द ''श्री दिनेश शर्मा'' पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ-1(ए) 190-91-ब-2-दो.—श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर को निजी कार्य हेतु दिनांक 1 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश 10 एवं 11 नवम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक विसबल, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
''निर्वाचन भवन''
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-88-10-तीन-1799.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगरपालिक निगम देवास** जिला देवास के आम निर्वाचन में **सुश्री शमीना सलीम,** महापौर पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर दिनांक 14 जनवरी 2010 तक **सुश्री शमीना सलीम** को निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास** के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देवास के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री शमीना सलीम** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री शमीना सलीम** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 4 फरवरी 2010 को जारी कर, **कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, देवास** के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में **सुश्री शमीना सलीम** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

अभ्यर्थी **सुश्री शमीना सलीम** को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2012 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 18 मार्च 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा को **सुश्री शमीना सलीम** को नोटिस तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला देवास से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 के द्वारा लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री शमीना सलीम** को आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस की तामीली उपरान्त प्रतिवेदन दिनांक 31 मई 2012 तक उनके कार्यालय में लेखा अथवा विलंब से लेखा प्रस्तुति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी **सुश्री शमीना सलीम** को दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग के कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री शमीना सलीम** आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. अभ्यर्थी **सुश्री शमीना सलीम** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 26 जून 2012 को तामीली तहसीलदार देवास के माध्यम से दिनांक 12 जुलाई 2012 को तामील कराई गई, लेकिन अभ्यर्थी उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुई. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री शमीना सलीम** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री शमीना सलीम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिक निगम, देवास, जिला देवास** का पार्षद या महापौर होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10-तीन-1810.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **(नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सलमा बेगम,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की

अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565-स्था. निर्वा.-10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सलमा बेगम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सलमा बेगम** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 मई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला **निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्रीमती सलमा बेगम को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि **श्रीमती सलमा बेगम** के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सलमा बेगम** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **(नगर पंचायत) नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 67-114-10-तीन-1811.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **(नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई, जिला विदिशा** के आम निर्वाचन में **श्रीमती सुनीता गोस्वामी**, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. (नगर पंचायत) नगर परिषद् कुरवाई जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा **जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विदिशा के पत्र क्र. 565-स्था. निर्वा.-10, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 गई 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला **निर्वाचन अधिकारी, विदिशा** के माध्यम से दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह

भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा.

श्रीमती सुनीता गोस्वामी को नोटिस दिनांक 28 मई 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 जून 2012 में लेख किया कि **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** के द्वारा कारण बताओ नोटिस की तामीली पश्चात् कोई अभ्यावेदन आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है. कलेक्टर विदिशा से उक्त अभिमत प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 19 जून, 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 सितम्बर, 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुईं.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्रीमती सुनीता गोस्वामी** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **(नगर पंचायत) नगर परिषद्, कुरवाई, जिला विदिशा** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-
(ए. के. शर्मा)
प्रभारी सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी
मध्यप्रदेश भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 8298-3470-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 6 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय (पुस्तकों सहित-दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
2	सुश्री रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
3	श्री विजय दत्ता बी.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
4	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
5	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
6	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
7	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)
8	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
9	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानि.	सहायक कलेक्टर (सश्रेय)

होशंगाबाद संभाग

10	श्री कवीन्द्र नाथ राय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11	श्री विजय सिंह सराटिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

उज्जैन संभाग

12	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर
13	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर

सागर संभाग

14	श्री चन्द्र प्रकाश पटेल	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
15	कु. सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
16	श्री रोशन राय	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
17	श्री दिलीप कुमार चौरसिया.	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
18	श्री शैवाल सिंह	नायब तहसीलदार (सश्रेय)
19	श्रीमती वर्षा शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

20	कु. दिव्या अवस्थी	डिप्टी कलेक्टर
21	कु. शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)

(1)	(2)	(3)
22	कु. पूनम सिंह	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)
23	कु. ज्योति ठोके	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
24	कु. स्मिता कुमारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
25	श्री विवेक कुमार शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
26	श्री दिपक कुमार अवस्थी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
27	श्री ललित कुमार ग्वालवंशी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)
28	श्री मोहन लाल वर्मा	राजस्व निरीक्षक
	जबलपुर संभाग	
29	श्री नम:शिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
30	कु. रंजना पाटने	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
31	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
32	कु. साधना सिंह सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
33	श्री गणेश कुमार जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
34	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
35	श्री चंद्र प्रताप गोहल	डिप्टी कलेक्टर
36	श्री पंकज नयन तिवारी	नायब तहसीलदार
37	श्री गौरव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
38	श्री श्याम नन्दन चन्देल	नायब तहसीलदार
39	श्रीमती रीति सोनवे नाग	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
40	श्री सहदेव सिंह मार्को	राजस्व निरीक्षक
41	श्री मनीराम आर्मो	राजस्व निरीक्षक
	इन्दौर संभाग	
42	श्री शाश्वत सिंह मीना	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
43	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर (सश्रेय)
44	श्री अनुकूल जैन	डिप्टी कलेक्टर
45	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार
46	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार
47	श्री राकेश सस्तियां	नायब तहसीलदार
48	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार
49	श्रीमती मधु नायक	नायब तहसीलदार
50	कु. रेशम गवली	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)
51	कु. श्वेता जमरा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख. (सश्रेय)
52	श्री लोकेश आहुजा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
53	श्री मुकेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
54	श्री राधेश्याम धाकड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
55	श्री प्रदीप शिगुंल	राजस्व निरीक्षक
56	श्री श्रीकान्त सारोलकर	राजस्व निरीक्षक
57	श्री संतोष कुमार शौनकिया	राजस्व निरीक्षक
58	श्री नंद किशोर मालवीय	राजस्व निरीक्षक
	रीवा संभाग	
59	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
60	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
61	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार
	शहडोल संभाग	
62	श्री नीलमणि अग्निहोत्री	डिप्टी कलेक्टर
63	श्री हेमन्त सिंह वरकड़े	राजस्व निरीक्षक
64	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
65	श्री विश्वम्भर सिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
66	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक

निम्नस्तर

	भोपाल संभाग	
1	श्रीमती नेहा जैन	नायब तहसीलदार
2	श्रीमती प्रेमलता पाल	नायब तहसीलदार
3	श्री सानत राव देशमुख	नायब तहसीलदार
4	श्रीमती रितु भार्गव	नायब तहसीलदार
5	श्री सुधाकर प्रसाद तिवारी	नायब तहसीलदार
6	श्रीमती सविता पटेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
7	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
8	श्री हेमराज मैहर	राजस्व निरीक्षक
9	श्री शरीफ अहमद	राजस्व निरीक्षक
10	श्री राधेश्याम राठौर	राजस्व निरीक्षक
11	श्री राजेश कुमार धाड़से	राजस्व निरीक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
12	श्री श्याम कुमार खरे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
	उज्जैन संभाग	
13	श्री प्रभुदयाल गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
14	श्री रूपसिंह राजपूत	राजस्व निरीक्षक
15	श्री जगत सिंह ठाकुर	राजस्व निरीक्षक
	सागर संभाग	
16	श्री हरिशंकर नामदेव	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
17	श्री परमाल सिंह कैन	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

(1)	(2)	(3)
18	श्रीमती इन्दु गौड़	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.

ग्वालियर संभाग

19	श्री मुकेश कुमार शर्मा	डिप्टी कलेक्टर
20	कु. नेहा शिवहरे	डिप्टी कलेक्टर
21	श्री बाबू खां पठान	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
22	श्री शोभाराम कुशवाह	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
23	श्री कैलाश बाबू श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक
24	श्री श्याम सुन्दर सिंह सराटिया.	राजस्व निरीक्षक
25	श्री ए. के. सिंह	राजस्व निरीक्षक
26	श्री शशिकान्त गुप्ता	राजस्व निरीक्षक
27	श्री रामदीन सिंह सेमिल	राजस्व निरीक्षक
28	श्री सुरेन्द्र सिंह राजौरिया	राजस्व निरीक्षक
29	श्री बलवीर सिंह भदौरिया	राजस्व निरीक्षक
30	श्री मुन्नालाल जमोरिया	राजस्व निरीक्षक
31	श्री लाल बहादुर शर्मा	राजस्व निरीक्षक
32	श्री प्रताप सिंह पटेलिया	राजस्व निरीक्षक

जबलपुर संभाग

33	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
34	श्री धर्मराज तुरकर	राजस्व निरीक्षक
35	श्री रामलोचन तिवारी	राजस्व निरीक्षक
36	श्री दशमंता मरावी	राजस्व निरीक्षक
37	श्री तेजीलाल उईके	राजस्व निरीक्षक
38	श्री पुन्नूलाल साण्ड्या	राजस्व निरीक्षक
39	श्री पोहपसिंह टेकाम	राजस्व निरीक्षक
40	श्री सुन्दरलाल यादव	राजस्व निरीक्षक
41	श्री चेतराम पन्धा	राजस्व निरीक्षक
42	श्री मनोज कुमार नामदेव	राजस्व निरीक्षक
43	श्री राम प्रताप सिंह गौड़	राजस्व निरीक्षक
44	श्री श्यामलाल धानक	राजस्व निरीक्षक
45	श्री मोतीलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक
46	श्री सुखलाल डेहरिया	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

47	श्री हरिबाबू श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार
48	श्री अखिलेश शर्मा	नायब तहसीलदार
49	श्री राजकुमार खरे	राजस्व निरीक्षक
50	श्री श्रीकान्त तिवारी	राजस्व निरीक्षक
51	श्री सुधीर शर्मा	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

52	कु. श्रृद्धा तिवारी	नायब तहसीलदार
53	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
54	श्री इन्द्रभान सिंह	राजस्व निरीक्षक
55	श्री ललन सिंह	राजस्व निरीक्षक
56	श्री तेजपति सिंह	राजस्व निरीक्षक
57	श्री रामनरेश गौतम	राजस्व निरीक्षक
58	श्री राम प्रताप सोनी	राजस्व निरीक्षक
59	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
60	श्री सुवेन्द्र सिंह	राजस्व निरीक्षक

शहडोल संभाग

61	श्री संदीप कुमार बघेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
62	श्री चन्द्रसिंह मरावी	राजस्व निरीक्षक
63	श्री धनकुंवर टोप्पो	राजस्व निरीक्षक
64	श्री मनोज सिंह	राजस्व निरीक्षक
65	श्री राजाराम कौल	राजस्व निरीक्षक
66	श्री सुदामा प्रसाद पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक
67	श्री गणेश प्रसाद बर्मन	राजस्व निरीक्षक
68	श्री माधव प्रसाद मोगरे	राजस्व निरीक्षक
69	श्री शिवशंकर मिश्र	राजस्व निरीक्षक
70	श्री दिनेश तिवारी	राजस्व निरीक्षक
71	श्री विनोद सिंह	राजस्व निरीक्षक

क्र. 8300-3451-अका-वपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र प्रक्रिया-प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

भोपाल संभाग

1	श्री कलिराम उईके	वन क्षेत्रपाल
2	श्री सुधीर पटले	वन क्षेत्रपाल
3	श्री सुभाष शर्मा	वन क्षेत्रपाल

(1)	(2)	(3)
	होशंगाबाद संभाग	
4	श्री रामस्वरूप उईके	वन क्षेत्रपाल
5	श्री चित्रक सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
6	श्री बाबूलाल मुवैल	वन क्षेत्रपाल
7	श्री सेवक राम मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
8	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
9	सुश्री अर्चना नारनवरे	वन क्षेत्रपाल
10	श्री भूरा गायकवाड़	वन क्षेत्रपाल
11	श्री रमेश गेहलोत	वन क्षेत्रपाल
12	श्री क्रान्ति झारिया	वन क्षेत्रपाल
13	श्री सुरेश कुमार भलावी	वन क्षेत्रपाल
14	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल
15	श्री सुरसिंग कल्वेलिया	वन क्षेत्रपाल
16	कु. प्रिती शाक्या	वन क्षेत्रपाल
17	कु. विध्या गिनारे	वन क्षेत्रपाल
18	श्री अनिल कुमार क्षत्रिय	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
19	श्री सरदार सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
20	श्री बिसन सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
21	श्री दिनेश मौर्य	वन क्षेत्रपाल
22	श्री माधोराव उईके	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
23	श्री रामेश्वर उईके	वन क्षेत्रपाल
24	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
	शहडोल संभाग	
25	श्री विवेक कुमार कोल	वन क्षेत्रपाल
26	श्री अम्बिका प्रसाद मेरावी	वन क्षेत्रपाल
27	श्री शिवकुमार ककोड़िया	वन क्षेत्रपाल

क्र. 8302-3453-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीथार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1	श्री संजय पाठक	सहायक वन संरक्षक
2	श्री जयराज सिंह राठौर	सहायक वन संरक्षक
	होशंगाबाद संभाग	
3	श्री मनोज कटारिया	सहायक वन संरक्षक
4	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल
5	श्री आशीष कुमार खोब्रागड़े	वन क्षेत्रपाल
6	श्री हेमराज वट	वन क्षेत्रपाल
7	श्री पंकज चौहान	वन क्षेत्रपाल
8	कु. विनिता जाटव	वन क्षेत्रपाल
9	श्री सिद्धार्थ दीपंकर	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
10	श्री गोपाल सिंह मुवेल	सहायक वन संरक्षक
11	श्री अशोक कुमार सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
12	श्री रामकिशन सोलंकी	सहायक वन संरक्षक
13	श्री राकेश कुमार डामर	सहायक वन संरक्षक
14	श्री पी. एस. ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
15	श्री रमेश कुमार मरकाम	वन क्षेत्रपाल
16	कु. आकांक्षा खातरकर	वन क्षेत्रपाल
17	कु. श्यामलता मेरावी	वन क्षेत्रपाल
18	श्री विजय सिंह मौर्य	वन क्षेत्रपाल
19	श्री अजय सागर	वन क्षेत्रपाल
20	श्री पीरूलाल परिहार	वन क्षेत्रपाल
21	श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
22	कु. संगीता रावत	वन क्षेत्रपाल
23	कु. पायल राजावत	वन क्षेत्रपाल
	ग्वालियर संभाग	
24	श्री एस. पी. मंगल	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
25	श्री सुनील सुलिया	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
26	श्री राम कुमार अवधिया	सहायक वन संरक्षक
27	सुश्री उर्मिला मरकाम	वन क्षेत्रपाल
28	श्री सद्गुरू चक्रधर	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
29	श्री राजेश कुमार निनामा	सहायक वन संरक्षक
30	श्रीमती संगीता सिंह	वन क्षेत्रपाल
31	कु. प्रीति शाक्य	वन क्षेत्रपाल
32	श्री मनोज कुमार वास्कले	वन क्षेत्रपाल
	शहडोल संभाग	
33	श्री राम कुमार	वन क्षेत्रपाल
34	श्री आर. के. सिंह	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. ई-1-396-2012-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना 3 में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. देवराज बिरदी (1982) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता तथा पशुपालन विभाग.	–
2	श्री बी. पी. सिंह (1984) राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग एवं संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन.	–
3	श्री पी. सी. मीना (1984) आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	–
4	श्री प्रभांशु कमल (1985) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग.	राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग.	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन
5	श्री शैलेन्द्र सिंह (1988) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव म. प्र. शासन
6	श्री शिवनारायण मिश्रा (1990) अवकाश से लौटने पर.	सदस्य सचिव राज्य वित्त आयोग	सचिव म. प्र. शासन
7	श्री अशोक कुमार शिवहरे (1995) कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	–
8	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार).	आयुक्त-सह-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक संघ (अतिरिक्त प्रभार).	–

(1)	(2)	(3)	(4)
9	श्री डी. पी. अहिरवार (1995) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग.	कमिश्नर, शहडोल संभाग, शहडोल.	-
10	श्री संजीव कुमार झा (1996) परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट उदय.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (अतिरिक्त प्रभार).	-
11	श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव (1996) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश तथा सचिव, मुख्यमंत्री.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) एवं सचिव, मुख्यमंत्री.	-
12	श्री शिवानन्द दुबे (1996) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.	कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना.	-
13	श्री जी. पी. श्रीवास्तव (1997) संचालक, कौशल विकास, जबलपुर	सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.	-
14	श्री महेन्द्र ज्ञानी (1998) कलेक्टर, मंदसौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मण्डी, मध्यप्रदेश.	अपर सचिव म. प्र. शासन
15	श्री शशांक मिश्रा (2007) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़.	कलेक्टर, मंदसौर.	-

(2) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (1988) द्वारा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे (1979), वि.क.अ.-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश नई दिल्ली केवल विशेष आयुक्त (समन्वय) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(3) उपरोक्तानुसार श्री बी. पी. सिंह, भाप्रसे (1984) द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. के. सिंह, भाप्रसे (1985), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग तथा संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन केवल संस्कृति विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के प्रभार से मुक्त होंगे.

(4) उपरोक्तानुसार श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे (1995) द्वारा कमिश्नर, शहडोल संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रदीप कुमार खरे, भाप्रसे (1992), कमिश्नर, रीवा संभाग तथा कमिश्नर, शहडोल संभाग, केवल कमिश्नर, शहडोल संभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर (तेन्दूखेड़ा) दिनांक 22 सितम्बर 2012

रा. प्र.-क्र. 2-अ-82 वर्ष 2011-2012 पत्र क्र.-881-प्र.आ.वि.अ.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	तेन्दूखेड़ा	चरगंवा	0.877	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/सं.) संभाग, नरसिंहपुर.	चरगवा गुदरई मार्ग सड़क निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी तेन्दूखेड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

नरसिंहपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

रा. मा. क्र.-1अ-82 वर्ष 2012-2013 पत्र क्रमांक-406-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गाडरवारा	अजंसरा प.ह.नं. 66 न.बं. 1	0.066	कार्यपालन यंत्री, रा.अ.बा.लो. सागर नहर संभाग क्र. 1, करेली.	घघरोला माईनर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 1 अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	घुटवानी	45.236	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा जलाशय हेतु डूब क्षेत्र एवं वेस्ट वियर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरूल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2 अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरूल्लागंज	हमीदगंज	0.833	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा जलाशय की हमीदगंज वितरिका हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ.वि.अ. कार्यालय नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 3131-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खाम्हा	1.120	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3133-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सहलोलवा-53	1.310	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3135-प्रशा.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घोड्डिहा	1.250	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के मुख्य नहर में आने वाली भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	शमशाबाद	शमशाबाद	3.505	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन.	संजय सागर (वाह) मध्य सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहरों का निर्माण.
			योग . . 3.505		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी नटेरन जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.—11-12-**संशोधन.**—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 16 मार्च 2012 दैनिक जागरण में दिनांक 2 मार्च 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 मार्च 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित ''05 मकान, 04 टिन शेड'' कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर).

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 16 मार्च 2012. दैनिक जागरण, दिनांक 2 मार्च 2012 नई दुनिया, दिनांक 2 मार्च 2012	1069.05 वर्गमीटर (कुल मकान 05) टिन शेड (04) बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.	चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित ''05 मकान, 04 टिन शेड'' कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीबाल 63.6 मीटर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 97-2011-एल ए.-भू-अर्जन प्र. क्र. 06-अ-82.—11-12-**शुद्धि पत्र.**—श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना अन्तर्गत म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के अनुसार जिन भू-स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधिग्रहित की गयी है, उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण हेतु ग्राम बिजौरामाफी, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा के अधिग्रहित किये जा रहे मकानों के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में अप्राप्त दैनिक जागरण में दिनांक 3 अक्टूबर 2012 को, नई दुनिया में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 को हुआ है. उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

(चार पुनर्वास प्लाटों कुल क्षेत्रफल 2006.64 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित ''05 मकान, 04 टिन शेड'' कुल निर्मित क्षेत्रफल 1069.05 वर्गमीटर एवं बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर).

	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि		
प्रकाशन जिसमें हुआ	भूखंड क्र.	निर्मित रकबा वर्गमीटर में	भूखंड क्र.	भूखंड का रकबा (व.मी.)	निर्मित रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1	551	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.×2.3 मी. ऊंचाई	551	501.66	(1) पक्का मकान 74.90 व.मी. (2) शौचालय 4.50 व.मी. (3) बाउंड्रीवाल 55.7 मी.×2.3 मी. ऊंचाई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दैनिक जागरण, दिनांक 3-10-12.	07	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. × 1.6 मी. ऊंचाई	07	501.66	(1) पक्का मकान 115.0 व.मी. (2) बरामदा 27.00 वर्गमीटर (3) बाउंड्रीवाल 7.9 मी. × 1.6 मी. ऊंचाई
नई दुनिया, दिनांक 2-10-12.	421	(1) मकान 231.30 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (3) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर	421	501.66	(1) मकान 231.30 वर्गमीटर (2) टीन शेड 132.24 वर्गमीटर (3) टीन शेड 16.34 वर्गमीटर
	420	(1) मकान 78.11 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर (3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर	420	501.66	(1) मकान 78.11 वर्गमीटर (2) मकान 208.38 वर्गमीटर (3) अस्थाई टीन शेड 105.78 व.मी. (4) टीन शेड 75.50 वर्गमीटर.
	कुल . .	1069.05 व.मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर.		2006.64 व. मी.	1069.05 व. मी. तथा बाउंड्रीवाल 63.6 मीटर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 04-अ-82-11-12 भू.अ. अ.-बरगी-2.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	रजपुरा नं. बं. 352 प. ह. नं. 22/47	0.85	कार्यपालन यंत्री, न. वि. सं. क्र. 3, कटनी.	बरगी दांयी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. 3099-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) ग्राम—रजरवार

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.112 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
67	0.112
योग . .	0.112

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कोटर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3101-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) ग्राम—किचवरिया

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.328 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
390	0.040
395	0.028
341	0.036
342	0.016
343	0.088
344	0.060
79	0.036
80	0.024
योग . .	0.328

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली केमली सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 3137-प्रशा-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—रामपुरबाघेलान

(ग) ग्राम—चोरमारी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.500 हे.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1517/2	0.044
473/3	0.080

(1)	(2)
158/2	0.112
159/2	0.108
162/4	0.156
योग . .	0.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महिदल कला वितरक नहर के अन्तर्गत डेंगरहट माइनर नहर के अन्तर्गत ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान में आने वाली निजी/शासकीय भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्र. 3144-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमिलिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.074 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया नं. 2 माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2217	0.008
2218	0.008
2215	0.020
2214	0.020
2212	0.040
2171	0.064
2133	0.064
1977	0.032
1974	0.124
1978	0.080
1961	0.052
1962	0.064
1963	0.020
1958	0.032
1927	0.104
1926	0.008
1901	0.020
1900	0.032
1903	0.004
1899	0.052
1898	0.008
1896	0.040
1894	0.008
1889	0.008
1890	0.052
1891	0.064
1881	0.020
1807	0.064
1808	0.012
1810	0.064
1812	0.008
1666	0.048
1665	0.092
1663	0.120
1678	0.008
1662	0.016
1652	0.072
1651	0.040
1654	0.008
1637	0.010
1640	0.052
1643	0.004
1639	0.016
1644	0.040
1607	0.028
1604	0.040
1605	0.010
1603	0.032
1602	0.120
1650	0.010
योग . .	1.962

(1)	(2)
म. प्र. शासन की भूमि	
1895	0.016
1821	0.016
1809	0.020
1664	0.020
1661	0.008
1641	0.032
योग (ब) . .	0.112
महायोग (अ+ब) . .	2.074

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3146-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—अमिलिया
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.835 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की अमिलिया माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
415	0.008
414	0.044
413	0.050
399	0.032
400	0.013
397	0.032
398	0.032
396	0.036
395	0.040
388	0.084
387	0.016
386	0.048
385	0.024
384	0.084
356	0.008
362	0.064
361	0.048
364	0.008
360	0.036
354	0.054
365	0.016
339	0.124
338	0.50
331	0.080
332	0.070
333	0.008
299	0.192
293	0.020
298	0.040
301	0.024
271	0.040
270	0.160
263	0.048
262	0.048
260/4	0.052
260/3	0.036
261/1	0.010
259	0.090
258	0.070
253	0.040
252	0.070
249	0.170
235	0.180
234	0.084
233	0.040
232	0.080
225	0.044
226	0.034

(1)	(2)
227	0.060
228	0.070
योग (अ)	2.811

म. प्र. शासन की भूमि

267	0.024
योग (ब) . .	0.024
महायोग (अ+ब)	2.835

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3148-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—करौली खुर्द
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.12 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परिसिधी माईनर के निर्माण हेतु

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)

(अ) निजी भूमि का विवरण

(1)	(2)
57	0.06
58	0.06
योग (अ) . .	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक क्र. 2 की पमरिया माईनर परिसिधी माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3150-प्रका-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—उकसा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—2.98 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)

(अ) निजी भूमि का विवरण

(1)	(2)
176/1	0.03
177	0.06
187	0.08
188	0.01
180	0.19
289	0.04
290	0.03
291	0.04
324	0.08
322	0.03
319	0.08
318	0.04
314	0.04
313	0.03
312	0.03

(1)	(2)
346	0.06
345	0.21
344	0.02
365	0.08
366	0.07
367	0.02
368	0.02
369	0.09
374	0.02
373	0.12
375	0.01
384	0.14
385	0.08
386	0.01
390	0.03
387	0.06
389	0.03
388	0.02
634	0.04
633	0.01
635	0.02
637	0.07
636	0.01
638	0.04
630	0.03
643	0.01
644	0.05
645	0.02
646	0.01
647	0.07
648	0.01
627	0.01
655	0.01
656	0.07
619	0.04
618	0.07
617	0.04
616	0.03
674	0.03
669	0.04
670	0.06
673	0.01
672	0.02
671	0.15
683	0.02
684	0.03
682	0.02
योग (अ)	2.94

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

175	0.02
302	0.01
325	0.01
योग (ब) . .	0.04
महायोग (अ+ब) . .	2.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है— बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर क्र. 1 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3152-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—सुपेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.33 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
1426	0.14

(1)	(2)
1427	0.02
1432	0.02
1433	0.07
1436	0.07
1437	0.01
योग (अ) . .	0.33

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

महायोग (अ+ब) 0.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की उकसा माईनर नं. 1 के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3154-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—सजमानी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.29 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
639	0.02
641	0.03
642	0.07
643	0.04
644	0.05
668	0.05
669	0.03
670	0.02
722	0.07
723	0.06
753	0.04
754	0.05
755	0.04
757	0.05
758	0.01
773	0.07
774	0.05
775	0.08
776	0.05
819/2	0.02
820	0.13
823	0.10
824	0.16
योग (अ) . .	1.29

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक

महायोग (अ+ब) 1.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी माईनर नं. 2 के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3156-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—सजमानी कला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.70 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
16	0.34
117	0.09
120	0.04
121	0.03
122	0.05
128	0.08
134	0.04
132	0.07
147	0.03
146	0.01
145	0.01
144	0.01
150	0.12
163	0.02
164	0.25
195	0.08
196	0.10
194	0.01
193	0.03
186	0.08
187	0.03
310	0.07
314	0.03
334	0.07
315	0.04
332	0.05
324	0.07
325	0.05
329	0.04
368	0.02
369	0.10
373	0.09
375	0.07
392	0.05
393	0.08
397	0.04
398	0.01
399	0.07
400	0.04
401	0.04
432	0.04
433	0.03
434	0.05
438	0.06
439	0.05
440	0.04
441	0.06
443	0.07
493	0.03
494	0.03
495	0.03
496	0.02
497	0.02
498	0.02
499	0.01
518	0.03
740	0.03
741	0.02
742	0.02
743	0.03
744	0.01
794	0.04
795	0.02
797	0.14
840	0.05
841	0.06
842	0.02
839	0.03
843/1	0.01
844	0.01
845	0.02
851	0.02
योग (अ) . .	3.67
(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
130	0.01
519	0.01
815	0.01
योग (ब) . .	0.03
महायोग (अ+ब)	3.70

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की सजमानी कला माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3158-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—अमिलिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.040 हेक्टेयर.

सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की पमरिया माईनर की परसिधी सब माइनर के निर्माण हेतु.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
740	0.024
741	0.008
749	0.028
750	0.072
752	0.032
753	0.028
760	0.064
761	0.004
765	0.140
776	0.010
777	0.048
779	0.032
785	0.040
792	0.024
793	0.032
799	0.028
800	0.028
813	0.052
812	0.064
819	0.032
818	0.020
841	0.016
842	0.004
840	0.030
839	0.044
837	0.008
851	0.008
852	0.028
836	0.028
858	0.020
859	0.016
860	0.028
योग (अ) . .	1.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 1 की अमिलिया माईनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 3160-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:— .

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—भगवानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.017 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
254/1	0.024
255	0.450

(1)	(2)
256	0.258
265	0.063
267	0.075
270	0.045
278	0.016
योग . .	0.931

म. प्र. शासन

253	0.002
266	0.060
269/1	0.024
योग . .	0.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर उद्‌वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 3162-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—चुनरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.692 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
156	0.060
169	0.005
173	0.039
174	0.047
175	0.094
176	0.038
177/2	0.043
179	0.020
181/1	0.059
181/2	0.006
181/3	0.027
191/1	0.090
191/3	0.116
191/4	0.019
193	0.059
194/1	0.040
194/2	0.060
195/2	0.150
197	0.234
234/3	0.056
234/4	0.138
239	0.044
255	0.009
256	0.007
257	0.100
260/1	0.020
261/1	0.010
261/3	0.019
262	0.011
267/1	0.054
योग . .	1.674

म. प्र. शासन

180	0.010
192	0.008
योग . .	0.018
महायोग . .	1.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत ''त्योंथर उद्‌वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. भू-अ-1-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—पीपलखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.060 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
211/1	0.300
212/2	0.450
413	2.240
414	0.900
409	3.350
412	1.870
410	0.490
211/2	0.330
220	0.270
219	0.810
46/3	0.050
कुल योग . .	11.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-2-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बर्री बगराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.729 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
102	0.769
104	0.134
122/2/2/2ख	0.093
101/2	0.704
122/2/2/2क	0.089
103/2	0.757
113/2	1.328
103/1	0.194
113/1	0.350
114/2	1.582
120/2	0.772
122/1/2	0.243
105	0.344
106/1	1.800
107/1/1	0.628
107/1/2	0.631
107/1/3	0.628
108, 109, 169/2	0.968
112	0.640
119/2	0.109
114/1	2.558
115/2	0.032
120/1	0.522
117/2	0.117
119/1	0.032
122/2/2/1	0.040
124, 126/2/2/3	0.486
122/2/2/3	0.724

(1)	(2)
122/2/2/4	0.182
123/1	1.076
122/2/2/5	0.100
123/3	1.546
124, 126/1/4	0.668
123/2	1.310
124, 126/1/3	0.259
124, 126/2/2/4	0.101
124, 126/2/2/1क	0.190
124, 126/1/2	0.668
124, 126/2/2/2	0.618
124, 126/1/1/1क	0.498
124, 126/2/2/1ख	0.833
124, 126/1/1/1ख	0.417
82	0.478
79/2	0.979
133, 134/2/1	0.064
133, 134/2/2	0.226
133, 134/2/3	0.242
योग :	27.729

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-4-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बगराज
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.921 हेक्टेयर.

(1)	(2)
खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
202/181/1 202/181/2/2	1.500
173/1	0.258
173/2	0.303
173/3	0.303
173/4	0.566
171/2	0.085
88/2	1.000
184	0.906
योग :	4.921

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-5-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—
(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—बूधौर कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.155 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
17/2, 19, 20, 331/17	2.205
31/1	1.623
31/2 38	0.967
16/2	0.360
योग :	5.155

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-6-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—भैंसखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.762 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
196/1	2.080
424/6	0.209
424/8/1	0.209
469/399/2	0.202
284, 473/283/2/1	0.800
204/2	1.303
204/1	1.306
266/2	1.218
273	1.935
269	1.500
योग :	10.762

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-7-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) ग्राम—खैजड़ा बब्बर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.093 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
143/2	1.000
64,65/2/2	1.922
60/2/2	1.214
47/2/1	1.000
47/2/2	0.850
139, 140, 141, 142/2/1	4.059
139, 140, 141, 142/2/3	1.214
139, 140, 141, 142/2/2	1.214
57, 58, 353/57/1क	1.000
57, 58, 353/57/2क	0.938
57, 58 353/57/2ख, 57, 58 353/57/1ख	1.822 0.323

(1)	(2)
50	1.323
51/2	1.214
	योग : 19.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8-भू-अ-8-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—ऊटखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.309 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
199/1/3	1.500
90/1/1/5ख	0.809
	योग : 2.309

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अ-9-ए-82-2011-12—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—भोपाल

(ख) तहसील—बैरसिया

(ग) ग्राम—बूधौरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.885 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
36/1	0.405
37/1/1	1.406
37/1/2	1.742
46, 47, 48/1/2	1.500
52/2/1	1.918
52/2/2	1.914
45	1.000
	योग : 9.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सम्राट अशोक सागर जलाशय का जल स्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

क्र. 3109-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—दुंअरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.37 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
159/1, 159/2	0.20
167	0.05
108	0.14
170	0.02
173	0.20
175	0.06
189	0.15
197/1, 197/2	0.03
210	0.13
218/1, 218/2	0.19
219	0.04
226	0.15
727	0.01
746	0.11
771	0.05
780	0.02
801	0.08
810	0.08
812	0.08
813	0.03
814	0.08
815	0.08
853	0.01
854	0.11
855	0.01
856	0.12
859/1, 859/2	0.05
861	0.01
862/1, 862/2	0.02
867	0.10
868	0.01
871	0.01
872	0.14
873	0.08
875	0.09
911	0.06
912	0.10
916	0.05
917	0.03
928	0.14
934/1, 934/2	0.10
941	0.09
943	0.01
944	0.26
945	0.03
946	0.06
1029	0.10
1030	0.13
1031	0.12
1035	0.01
1038	0.10
1039	0.01
1075	0.02
1076	0.24
1082/1, 1082/2	0.28
1088/1, 1088/2, 1088/3	0.01
1102/1, 1102/2	0.10
1110	0.27
1111	0.01
1113	0.08

(1)	(2)
1114	0.28
1115	0.20
1140	0.18
1141	0.13
1142	0.13
1143	0.80
1147	0.12
1148	0.12
1150	0.06
1151/1, 1151/2	0.04
योग (अ) . .	7.29

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

209	0.01
735	0.04
884	0.02
1036	0.01
योग (ब) . .	0.08
योग (अ+ब) . .	7.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब-माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3111-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—बडखरा 740

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.18 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
659	0.07
661	0.02
662	0.02
664	0.03
667	0.04
668	0.04
669	0.04
672	0.01
673	0.03
674	0.01
675	0.02
626	0.09
677	0.06
680	0.16
683	0.02
816	0.01
919	0.04
920	0.02
1014	0.02
1018	0.01
1020	0.03
1021	0.06
1022	0.03
1029	0.05
1032	0.03
1034	0.06
1037	0.03
1038	0.01
1048	0.09
1049	0.01
1050	0.09
1064	0.15
1066	0.03
1067	0.03
1068	0.01
1077	0.02

(1)	(2)
1078	0.05
1081	0.05
1082	0.06
1083	0.09
1084	0.01
1087	0.02
1100/1, 1100/2	0.03
1151	0.02
1152	0.03
1167	0.03
1168	0.01
1171	0.02
1172	0.05
1173	0.12
1376	0.04
योग (अ) . .	2.13

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

1019	0.01
1074	0.02
1051	0.02
योग (ब) . .	0.05

योग (अ+ब)	2.18 हे.
निजी भूमि का रकबा	2.13 हे.
म. प्र. शासन की भूमि का रकबा	0.05 हे.
महायोग . .	2.18 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3113-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—बडखरा 739

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.28 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
259	0.01
261	0.01
271	0.04
272	0.03
276	0.03
277	0.03
291	0.03
292	0.06
293	0.06
294	0.16
297	0.16
318	0.01
319	0.06
320	0.02
321	0.07
429	0.07
430	0.10
431	0.01
432	0.11
438	0.02
439	0.12
योग (अ) . .	1.28

(ब) म. प्र. शासन की भूमि NIL

प्रस्तावित कुल निजी भूमि 1.28 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3115-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—बडखरा 740

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.86 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
245	0.03
251	0.05
252	0.08
253	0.05
358	0.02
259	0.06
261	0.01
454	0.08
455	0.08
457	0.06
458	0.07
462	0.01
463/1, 463/2	0.06
467	0.10
479	0.04
480	0.06
योग (अ) . .	0.86
(ब) म. प्र. शासन की भूमि	NIL
योग (अ+ब)	0.86 हे.
प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा	0.86 हे.
प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा	NIL

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की बडखरा माईनर नं. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3117-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—सांडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.45 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
475	0.01
1799	0.06
1800	0.01
1801	0.03
1802	0.02
1803	0.07
1804	0.04
1805	0.01
1807	0.01
1818	0.04
1819	0.1
1820	0.01
1841	0.01
1842	0.02
1843	0.03
1844	0.02
1848	0.03

(1)	(2)
1850	0.03
1852	0.03
1853	0.05
1854	0.01
1858	0.08
1859	0.04
1860	0.02
1861	0.01
1869	0.02
1870	0.04
1872	0.04
1897	0.02
2006	0.08
2007	0.03
2008	0.02
2009	0.02
2012	0.02
2014	0.10
2015	0.14
2016	0.02
2021	0.30
2022	0.02
2041	0.02
2049	0.02
2054	0.02
2055	0.02
2056	0.01
2063	0.14
2064	0.30
2070	0.16
2071	0.06
2074	0.16
2075	0.20
2131	0.01
2132	0.10
2133	0.01
2134	0.01
2141	0.20
2142	0.24
2146	0.08
2152	0.20
2153	0.02
2162	0.32
2163	0.08
2164	0.10
2166	0.05
2167	0.06
योग (अ) . .	4.27

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

2066	0.06
2145	0.02
2155	0.02
2171	0.08
योग (ब) . .	0.18
योग (अ+ब) . .	4.45
निजी भूमि का रकबा	4.27 हे.
म. प्र. शासन की भूमि का रकबा	0.18 हे.
महायोग . .	4.45 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की दंअरा सब-माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 31-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—जगतपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.609 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
18	0.101
19	0.160
20/1/1	0.218
20/1/3	0.250
20/1/4	0.251
23/4	0.235
23/5	0.280
23/7	0.288
101	0.086
108	0.109
111/2	0.111
114/1	0.171
115	0.008
117	0.010
119	0.116
128/2	0.172
128/4/1	0.420
137/1	0.072
137/2	0.036
138	0.072
139	0.032
142/3	0.072
146/3	0.120
147	0.080
187/2/3	0.176
187/3/1	0.010
187/3/2	0.187
189	0.100
190/1	0.037
190/2	0.130
190/3	0.038
192/1	0.461
योग . .	4.609

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर की जगतपुर माइनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 32-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—बछौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.170 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4549/2	0.122
4560/1	0.227
4561/1	0.029
4630/1	0.221
4630/3	0.017
4633/1	0.186
4633/3	0.220

(1)	(2)
4641/1	0.278
4641/2	0.096
4647	0.110
4648/1	0.096
4648/2	0.060
4649/2/2	0.297
4671	0.308
4672/2	0.117
4674	0.357
4675	0.105
4676	0.095
4678	0.102
4680	0.275
4733/1	0.100
4734	0.181
4736	0.148
4737/1	0.020
4741	0.270
4742	0.133
योग . .	4.170

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की बछौन शाखा नहर एवं जगतपुर माइनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 33-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—चन्दला

(ग) ग्राम—बिलहरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निज़ी भूमि—0.315 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विविरण से भूखण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1344/1/2/3/1	0.190
1345/1	0.125
योग . .	0.315

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना के अंतर्गत बछौन शाखा नहर की बिलहरी माईनर के भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 1 नवम्बर 2012

क्र. 11743-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (पाड़लियाखेड़ी तालाब की नहर निर्माण एवं बांध में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कल्पोनी, रसुलपुरा, बखेड़,पाड़लियाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.626 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
नहर में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम—कल्पोनी	
29	0.050
443/1/5	0.140
287/3	0.090
287/4	0.050
287/5	0.050
290	0.050
36/2	0.750
454/1/2	0.251
28	0.120
64/1	0.090
215/2	0.050
289	0.090
454/1/1/2	0.051
454/1/1/3	0.051
206/1	0.100
35	0.100
276/1/1	0.100
208/2/1	0.300
208/2/2	0.300
294/2/2	0.130
294/2/1	0.150
योग . .	3.063
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम—रसुलपुरा	
289/1/3	0.151
249	0.045
270/1/1	0.452
551/1	0.582
योग . .	1.230
ग्राम—बखेड़	
1463/2251/2	0.108
274/2	0.500
योग . .	0.608
ग्राम—कल्पोनी	
391	0.216
432/3	0.420
568/4	0.089
योग . .	0.725
(1)	(2)
ग्राम—पाड़लियाखेड़ी	
750	0.100
756	0.350
733	0.250
831	0.150
754	0.150
योग . .	1.000
महायोग . .	6.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—पाड़लियाखेड़ी तालाब नहर निर्माण एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11745-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—पचोर

(ग) नगर/ग्राम—नीनोर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.171 हेक्टर

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
365/1	0.103
273/3	0.026
272/1/2	0.004
272/1/1	0.004
272/1/3	0.004
272/2	0.012
271	0.018
योग . .	0.171

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, उज्जैन.

(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कार्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 अक्टूबर 2012

पत्र क्र. 930-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर

(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम—गुन्दरई

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.230 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
124, 125/1	0.020
126, 128/5	0.120
128/1, 128/4	0.120
128/3	0.130
137/3	0.440
137/4	0.170
138/5क, 143/5	0.080
138/5ख	0.100
139, 140	0.050
योग :	1.230

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चरगुवा से गुन्दरई मार्ग (सड़क निर्माण) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—आष्टा

(ग) नगर/ग्राम—रोलागांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.828 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
110/1	0.081
110/2	0.069
109-110/1	0.032
111/2-112/2	0.016
618/118/6	0.006
111/2-112/3	0.016
618-118/1	0.028
111/2-112/4	0.016
618-118/5	0.024
111/2-112/6	0.016
618/118/4	0.016
111/2-112/8	0.021
111/2-112/12	0.024
114-118-569/114/2	0.073
618/118/2	0.004
618/118/3	0.016
120-124/3	0.025
120-124/4	0.008
120-124/5	0.012
615-120/1	0.057
615-120/3	0.012
359	0.061
360/2	0.021
360/1	0.065
360/4	0.029
358/3	0.016
360/5	0.006

(1)	(2)
360/6	0.025
361/1	0.025
586/360	0.008
योग :	0.828

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—झीकडी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.070 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37	0.013
47-48-49	0.247
67	0.154
38-50/1	0.009
41	0.024
46/1	0.130
46/2	0.028
62	0.121
66	0.113
71-73	0.021
69/1	0.012
69/2	0.089
74/1	0.021
72	0.044
182/71/3/2	0.016
182/71/1	0.028
योग :	1.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—मनीरामपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.552 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
37/1	0.013
37/2	0.013
38	0.025
39	0.025
40-41/1	0.013
45/3	0.024
47-48/3	0.146
57/3	0.162
75/2	0.041
88/73	0.029
74/92/74/1	0.021
91/35	0.040
योग :	0.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—आष्टा

(ग) नगर/ग्राम—बडघाटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.715 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
74	0.154
174	0.028
79/1	0.016
151/1	0.006
79/2	0.020
151/4	0.012
180/1	0.016
97/2-98-99/1	0.024
252/171	0.016
192/2-196-197/1	0.016
100/3	0.012
151/3	0.016
104/1	0.016
104/3	0.008
104/2	0.012
107-121-122	0.073
187	0.049
210	0.049
225-226	0.041
110	0.040
111-118	0.020
172/1-173	0.105
188	0.049
222-223-224	0.057
209-218-219-220-221	0.046
112-117/1	0.012
113-114/1/1	0.028
112-117/2	0.012
193-194-195/2	0.029
112/117/3	0.016
193-194-195/1	0.008
112-117/4	0.024
125-133/2-243/134	0.012
114/2/3	0.008
114/2/4	0.016
114/2/5	0.016
114/2/1	0.016
116/2	0.012
114/2/6	0.012
114/2/7	0.020
126-127-246/126/1	0.028
126-127-246/126/4	0.020
126-127-246/126/2	0.016
154-155-156/1	0.009
192/1	0.006
200-201/1	0.061
154-155-156/2	0.009
249/154	0.016
192/2-196-197/2	0.073
171/2	0.036
202-203-204/1	0.036
178/4-179	0.021
183/1-182/2-184-186/1	0.012
198-199/2	0.029
206	0.073
216	0.045
217	0.010
192/2-196-197/3	0.073
योग :	1.715

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—कुम्हारिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.864 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	0.012
19	0.036
52/2-53-18/2	0.049
7/8/9	0.065
17-20/1	0.065
17-20/3	0.025
17-20/2	0.024
17-20/4	0.016
18/2	0.033
22/1	0.073
24-25/4/1	0.049
44-48/2	0.032
44-48/3	0.098
21/1	0.076
21/2	0.021
23-56/23	0.021
24-25/5	0.081
43/4	0.061
24-25/1	0.146
24-25/2	0.073
31-33-35-38/1	0.186
24-25/3	0.061
43/3	0.007
15-26	0.097
29/2-34/1/2	0.053
40	0.202
31-33-35-38-3/2	0.125
36	0.041
52/3-53/18/1	0.036
योग :	1.864

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मनीरामपुरा तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—केलापानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.081 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
75/3	0.134
76	0.057
78/1	0.097
78/2	0.081
78/3	0.073
78/4	0.032
78/5	0.202
79/1	0.041
78/6	0.364
योग :	1.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त निजी की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—आष्टा
(ग) नगर/ग्राम—छापर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.324 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2	0.016
12	0.028
23	0.105
13/1	0.067
13/2	0.048
22-38	0.081
30/1	0.016
117	0.028
31	0.048
33-34/1	0.073
33-34/4	0.049
64/1	0.024
64/7	0.012
77/1	0.005
64/8	0.016
78/2	0.037
64/9	0.016
76	0.032
78/1	0.041
369/3	0.007
89	0.016
90	0.016
101	0.041
103-105/2	0.032
104/1	0.016
112	0.105
340/1-377-342/1-400/341/1	0.012
114	0.041
115	0.049
116-384/116	0.050
113	0.049
308-309	0.041
338	0.049
10/1	0.065
313	0.057
339	0.061
342	0.069
343	0.041
351	0.210
352	0.005
353	0.097
354	0.041
355-378/355/1	0.085
355-378/355/2	0.146
369/2	0.024
368/1	0.129
368/2	0.028
योग :	2.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छापर तालाब की नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 अक्टूबर 2012

क्र. एफ. 1579-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—नरवार कला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.335 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
196/2 क	0.014
196/2 ख	0.014
196/2 ग	0.014
324/2 क	0.110
331/1	0.021
330	0.040
332/1 क	0.041
332/1 घ	0.031
332/1 ख	0.050
निजी खाता योग :	0.335

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नरवार तालाब योजना अंतर्गत नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 17 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-896.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) ग्राम—नयाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.87 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
329	0.09
330	0.05
336	0.01
337	0.10
339	0.05
340	0.01
344	0.07
346	0.03
347	0.08
348	0.06
350	0.02
359	0.01
364	0.06
365	0.12
368	0.04
369	0.05
370	0.04
371	0.17
503	0.02
504	0.05
508	0.04
509	0.01
510	0.12

(1)	(2)
511	0.04
512	0.08
513	0.03
514	0.04
515	0.03
516	0.01
517	0.05
518	0.01
519	0.13
520	0.02
521	0.01
537	0.13
539	0.14
546	0.08
551	0.02
552	0.02
553	0.01
556	0.05
557	0.06
558	0.10
563	0.05
703	0.04
704	0.06
705	0.04
710	0.12
711	0.03
712	0.06
713	0.02
719	0.01
720	0.08
योग :	2.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायीं तट नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-903.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—पिछोर
(ग) ग्राम—पड़रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.161 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.161
योग :	0.161

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पिछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शिवपुरी, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

प्र.क्र. 3-2011-12-अ-82-क्र. क्यू-भू-अर्जन-2012-2088 से 2093.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि संबंधी जानकारी अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—कोलारस
(ग) नगर/ग्राम—कूड़ा पाडौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.36 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेर में)
(1)	(2)
401	0.03
393	0.23
391	0.27
432	0.05
456	0.10

(1)	(2)
427	0.05
402	0.26
403	0.04
392	0.03
390	0.06
389	0.05
434	0.10
433	0.09
योग :	1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण—नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, कोलारस, जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 18 अक्टूबर 2012

नस्ती क्र. 76-2011-एल.ए.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 31-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—पिपल्या सैलानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—1.69 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
43	0.33
44	0.02
66/1	0.13
59/2	0.22
60	0.11
61/1	0.03
62	0.01
65	0.51
71	0.03
70	0.30
योग :	1.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी, सनावद वितरण शाखा की उप शाखा के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 46-2011-एल.ए.-भू-अर्जन- प्र. क्र. 29-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—इनपुन
(घ) लगभग क्षेत्रफल (अर्जित रकबा)—0.404 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
437/1	0.058
438/1	0.346
योग :	0.404

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत आईएसपी, सनावद वितरण शाखा की माईनर क्र.-21 के सबमाईनर 3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28, पुनासा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 19 अक्टूबर 2012

क्र. 1075-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—पिपलई बुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.270 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
56/1/2	0.380
56/6	0.092
57	0.204
58	0.222
59/1	0.188
59/2	0.162
59/3	0.164
60/2	0.164
61/1/1	0.046
161/2	0.402
161/6	0.004
161/7	0.170
161/8	0.164
161/9	0.068
164/2	0.094
164/3	0.076
164/4	0.016
167/2	0.106
168/1	0.052
168/2/1	0.174
168/2/2	0.200
170/1	0.724
180/2	0.198
183/1	0.200
योग :	4.270

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन अद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2012

क्र. 11529-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—टोंका एवं नेटाठारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.211 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—टोंका	
5/3	0.014
7	0.090
8	0.073
9/4/1	0.165
9/4/2	0.100
9/5	0.062
10/1	0.130
10/2	0.021
13/2	0.036
18/2	0.260
59/3/1/1	0.062
191/2	0.021
193/1	0.065
100/4	0.208
110/7	0.081
193/2	0.036
110/6	0.080
193/3/1	0.080
193/3/2	0.060
194/2	0.062
249	0.078
321 में से	0.218
322	0.192
339	0.031
338	0.030
340/1	0.040
341/2	0.083
352/1	0.104
340/2	0.117
348	0.104
349	0.020
350	0.040
351/3	0.072
353	0.224
372	0.531
354/2	0.012
356/2	0.272
355	0.354
357	0.312
373/1	0.745
373/2	0.360
373/3	0.146
374	0.570
375	0.180
376	0.490
378/1	0.240
378/2	0.156
378/3	0.100
379	0.340
380	0.010
योग :	7.877
ग्राम—नेटाठारी	
130	0.305
133/1/1	0.177
133/2	0.078
134	0.068
142	0.130
143	0.162
145/2	0.022
146/3	0.172
149 में से	0.220
योग :	1.334
महायोग :	9.211

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टोंका तालाब के स्पिल चैनल एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11531-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—टोंका

(घ) लगभग क्षेत्रफल—78.044 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110/18	0.130
110/19	0.130
190/1/1	0.158
180/1/1/2	0.080
190/1/2	0.158
180/1/2	0.696
190/2	0.013
231/2	1.092
180/2	0.974
196/2	0.400
196/4	0.101
181/1/1	0.200
181/1/2	0.812
181/2/2	0.080
181/2/3	0.080
181/2/4	0.080
181/3	0.300
181/4	0.531
181/2/1	0.080
184/1	0.633
184/2	0.632
185/1	0.335
185/2	0.335
228/2/2	0.788
228/2/3	1.001
187/1	0.948
188/1	0.222
187/2	0.965
188/2	0.221
187/3	0.506
252/1	0.562
217/1	0.342
(1)	(2)
225/1/3	0.486
392/225/3/3	0.561
217/2	0.342
225/1/2	0.487
392/225/2	0.561
191/2	0.243
191/3	0.519
192/1	0.400
195	0.500
198	0.720
192/2	0.010
196/1/1	0.200
204/2	0.139
205/2	0.465
296/1/2	0.200
204/1	0.138
205/1	0.465
196/3/1	0.050
197/1	0.449
196/3/2	0.051
197/2	0.449
197/3	0.499
197/4	0.499
199	0.430
203/1/1	0.073
200/1	0.405
203/1/2	0.025
200/2	0.405
203/1/3	0.024
201/1	0.320
203/1/4	0.024
201/2	0.319
201/3	0.639
202	1.139
203/2	0.145
207	0.216
251/1	0.734
208	0.949
209	1.833
210	0.468
211	1.518
212/1	0.721
212/2	0.367
213/1	0.354
213/2	0.721
214	0.949

(1)	(2)
215	0.519
216	0.519
182	0.392
217/3	0.341
218/1	0.493
218/2	0.494
219	0.683
223	0.506
183/1	0.870
220/1	1.635
220/2	0.759
220/3	0.759
220/4	0.506
221/1	1.458
221/2	1.459
221/3	1.459
222	0.949
224/2	0.424
225/2/2	0.347
224/1	0.423
225/2/2	0.348
225/1/1	0.487
392/225/3/1	0.560
228/1	1.260
229/1	0.364
229/3	0.190
186	0.595
228/2/1	0.350
229/2	0.078
230/1	0.658
231/1/1	0.546
230/2	0.658
231/1/2	0.546
232	1.391
233	0.292
234	1.200
356/1	0.785
246/1	1.000
354/1	0.190
246/2/1	0.500
356/2/2	0.099
354/2 में से	0.020
246/2/2	0.500
356/2/3	0.098
247/1/1	4.855
248/1	0.542
248/2	1.771
249	1.055
254	0.010
250/1	0.810
250/2	0.809
252/3	0.460
251/2	0.734
252/2	0.560
253/1	0.100
253/2	0.100
355	0.100
357	0.101
356/2/1	0.196
356/2/4	0.196
356/2/5	0.196
358/1/3	0.067
358/5/3	0.067
358/1/2	0.067
255/1	0.506
255/2	0.010
226 में से	1.391
193/1	0.010
385/249	1.200
226 में से	0.200
योग :	78.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टोंका तालाब के निर्माण एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11533-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—ब्यावरा

(ग) नगर/ग्राम—पालाबे एवं जगन्यापुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.424 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—पालाबे	
97/5/1	0.883
128/1	0.401
132/2/1	0.274
132/3/1	0.687
97/5/2	0.884
128/2	0.401
132/2/2	0.274
132/3/2	0.431
97/5/3	0.884
128/3	0.400
132/2/3	0.274
132/3/3	0.431
115	0.506
116	0.606
117	0.278
130/2	0.569
131	0.759
132/1	0.253
109	0.253
135/97	0.190
118	0.620
119	1.385
120	1.303
121	1.759
123	0.772
124	1.354
125	0.707
126	0.342
127	1.164
133/32	0.063
111	0.314
134/128	0.443
108/1/1/2	0.010
योग . .	19.874
ग्राम—जगन्यापुरा	
146/30	0.550
योग . .	0.550
महायोग . .	20.424

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पालाबे तालाब के स्पिल चैनल एवं डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11535-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) नगर/ग्राम—उमरेड
(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.800 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
11/1	0.153
11/2	0.250
13/3	0.210
11/3	0.350
12/1	0.100
12/2/1	0.610
12/2/2	0.302
13/2	0.650
15/1	0.379
15/2	0.380
15/3	0.379
15/4	0.379
15/5	0.379
16/1	1.800
16/2	1.427
17/7/1/1	0.632
17/7/1/2	0.247
17/3/1/1	0.114

(1)	(2)
17/7/1/3	0.506
17/3/1/2	0.253
17/3/1/3	0.506
17/9	2.086
18/2	0.190
19/3	0.060
25/1	2.100
25/2	0.160
50/2/2	0.506
46/3	0.070
50/1/2	0.822
47/1	0.332
57/2	0.063
48/1/2/2	0.408
50/2/1	0.329
57/3	0.500
48/1/1	0.185
48/1/2/1	0.266
48/2/1	0.350
49/1	0.092
48/2/2	0.413
48/2/3	0.413
49/2	0.093
49/3	0.093
50/1/1	0.316
51/2	0.152
51/3	0.253
52	0.164
53 में से	2.488
17/5 में से	0.170
17/2 में से	0.200
54	1.025
55	2.959
56	0.430
57/4	0.278
57/5	0.020
59/1/1	0.284
59/1/2	0.285
60	1.200
69	3.400
74/4	0.229
75	1.000
66/1	0.025
66/2	0.070
68/1	0.025
66/3	0.120
66/4	0.200
68/2	0.177
67	0.020
70/1	0.130
73/1	0.584
70/2	0.129
73/2	0.585
70/3	0.137
73/3	0.585
70/4	0.130
73/4	0.585
71	0.164
72	1.316
9/1	0.095
9/2	0.095
74/2	0.051
9/3	0.110
9/4	0.317
17/10/3/1	0.359
17/10/3/2	0.358
17/10/3/3	0.358
17/10/2	0.540
17/7/3	0.190
17/7/1/4	0.380
48/1/1	0.045
48/1/2/1	0.045
46/1	0.030
44 में से	0.025
33 में से	0.155
33 में से	0.051
36 में से	0.045
32	0.225
28	0.150
532/1	0.090
544	0.165
539	0.037
543	0.450
569	0.062
योग . .	43.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—उमरेड तालाब के डूब क्षेत्र स्पिल चेनल एवं नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11537-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—ब्यावरा
(ग) ग्राम—पड़ोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.184 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
141/1/1	0.200
141/1/3	0.100
125/33	1.258
125/32	0.400
141/19	0.160
125/29	0.066
योग . .	2.184

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है—सूरजपुरा बांध निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 11653-54-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़
(ख) तहसील—पचोर
(ग) नगर/ग्राम—रेठानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.521 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
5/1	0.036
5/2	0.036
10	0.253
9	0.240
33	0.368
32	0.109
31	0.528
40	0.080
41	0.025
43/1	0.095
43/2	0.095
121	0.100
46/1	0.120
120	0.039
113/1/1	0.055
113/1/2	0.055
167	0.025
168	0.025
177/1	0.025
179	0.012
109/1/1	0.200
योग . .	2.521

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग राजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11655-56-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—पचोर

(ग) नगर/ग्राम—तलेन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.166 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
285	0.020
287	0.020
288	0.012
289/2	0.015
290	0.026
294/1	0.039
295/2	0.018
295/1	0.016
योग . .	0.166

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, 1. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन, 2. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), कार्यालय, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 23 अक्टूबर 2012

क्र. 5033-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम

(ख) तहसील—सैलाना

(ग) ग्राम—पाटडी, कलता, बेडदी, बन्दरीया का माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.67 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
(1) ग्राम—पाटडी	
47/1	0.03
47/2	0.03
47/3	0.03
332	0.03
46/5	0.03
48	0.07
351	0.03
330/1	0.09
330/2	0.02
329	0.04
354	0.03
356	0.05
313	0.02
378	0.03
379	0.09
388	0.03
390	0.01
391	0.09
357	0.03
2/1	0.70
3	1.00
400	0.08
327	0.02
325	0.06
318	0.06
314	0.09
306	0.06
307	0.02
289	0.08
285	0.04

(1)	(2)
283	0.03
265	0.05
249	0.06
247	0.03
244	0.02
243	0.05
242	0.03
227	0.16
2/2	0.46
4	1.73
7	1.00
योग . .	6.61

(2) ग्राम—कलता

32	0.04
29	0.02
31	0.07
52	0.03
26	0.06
51	0.06
50	0.08
योग . .	0.36

(3) ग्राम—बेडदी

149	0.84
150	1.07
योग . .	1.91

(4) ग्राम—बन्दरीया का माल

285	0.56
281	1.03
286	0.20
योग . .	1.79
महायोग . .	10.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पाटडी तालाब निर्माण से प्रभावित होने वाली डूब भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

प्र. क्र. 52-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9489.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—खड़आमला
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—22
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—0.448 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
262/3	0.180
280/17	0.026
280/21	0.045
280/18	0.017
280/20	0.027
280/19	0.085
280/22	0.068
योग :	0.448

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—खड़आमला लघु जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 53-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9490.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—नागठाना
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—10
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.802 हेक्टयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
43/1	0.153
44/1	0.121
45/5	0.104
48	0.102
53	0.107
51/1	0.116
52/1	0.079
52/2	0.051
55	0.200
80	0.065
81/2	0.102
81/3	0.177
82	0.144
83	0.056
117	0.079
116/3	0.112
116/6	0.111
115/7	0.065
115/4	0.093
122	0.228
115/1	0.186
79/8	0.065
127/7	0.060
127/1	0.121
45/2	0.105
योग :	2.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9491.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—मोहरखेड़ा
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—32
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—1.836 हेक्टयर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
76/2	0.195
75	0.074
7	0.260
74	0.102
8	0.169
9/1	0.170
9/2	0.124
9/3	0.112
32	0.186
31/3	0.067
31/4	0.072
10	0.139

(1)	(2)
17	0.084
16	0.074
19	0.008
योग :	1.836

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—देहगुड़ जलाशय की दायीं तट नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 55-अ.-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-9492.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—आमला
(ग) नगर/ग्राम—बाबरबोह
(घ) पटवारी हल्का नम्बर—38
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—40.181 हेक्टयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
479	4.081
482	0.645
480	0.368
484	0.300
492	1.980
481	0.223
483	1.400
485	0.405
493	0.485
552	0.040
494/1	0.446
494/5	0.505
494/2	0.356
494/4	0.574
487	0.014
495/1	0.601
495/2	0.809
497	0.405
523	1.315
516	0.173
526	1.830
528	2.525
529	2.679
546	0.350
547	0.460
548	0.519
560	0.324
565	0.200
545/4	0.400
545/1	1.150
536	0.780
538	0.050
182	0.010
478/2	0.065
478/1	0.102
474	0.017
477	0.099
437	0.003
435	0.073
177/1	0.074
177/2	0.019
177/3	0.002
177/4	0.002
176	0.025
105	0.020
109	0.056

(1)	(2)
110	0.091
8	0.009
46	0.015
48	0.074
53	0.030
59/1	0.013
59/2	0.015
59/3	0.013
42	0.031
32	0.008
40	0.027
30	0.010
31	0.033
12/1	0.013
58	0.022
486/1	0.070
494/3	1.310
496	1.578
525	0.174
517/1	0.090
530	0.340
532/1	0.800
532/2	0.415
561	0.510
537/2	0.050
522	0.688
524	3.092
175/1	0.074
173	0.031
144/5	0.013
145/3	0.040
146/2	0.043
107	0.056
147/1	0.055
147/2	0.018
147/3	0.019
150/2	0.056
151/2	0.005
156/2	0.013
103	0.094
106/1	0.016
106/2	0.017
104/1	0.022
83	0.030
88	0.031
82/5	0.028
84/3	0.074
84/2	0.145
47	0.008
60	0.031
50	0.045
550/1	0.560
550/2	0.380
550/3	0.030
550/5	0.050
550/6	0.050
35/1	0.111
549/3	0.303
549/2	0.202
549/1	0.987
175/2	0.007
154/5	0.057
योग :	40.181

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—बाबरबोह जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1-5-96-3370-2012-इक्कीस-ब(एक).—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-5-96-3108-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में, दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन अन्वेषण किये गए मामलों के विचारण के लिये, नीचे विनिर्दिष्ट किये गए राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिये विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, जिनका मुख्यालय भोपाल होगा, अर्थात् :—

राजस्व जिले

(1) भोपाल, (2) सीहोर, (3) रायसेन, (4) मुरैना, (5) टीकमगढ़, (6) विदिशा, (7) बैतूल, (8) होशंगाबाद, (9) राजगढ़ (ब्यावरा), (10) हरदा, (11) श्योपुर.

2. यह अधिसूचना 30 अक्टूबर, 2012 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

F. No. 1-5-96-3370-2012-XXI-B (One).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in supersession of this Department's Notification F. No. 1-5-96-3108-XXI-B (One), dated 30th October, 2012, the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Manoj Kumar Shrivastava, II[nd] Additional Sessions Judge, Bhopal as a Special Judge with Head Quarter at Bhopal for the areas comprising of the revenue districts specified below to try the cases in regard to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946), by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely :—

Revenue Districts

(1) Bhopal, (2) Sehore, (3) Raisen, (4) Morena, (5) Tikamgarh, (6) Vidisha, (7) Betul, (8) Hoshangabad, (9) Rajgarh (Bioara), (10) Harda, (11) Sheopur.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 30th October, 2012.

क्र. फा. 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन के आदेश क्रमांक 3(बी)6-2011-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 31 अगस्त 2012 के द्वारा व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर श्री मोहित मिश्रा पिता श्री एच.सी. मिश्रा (मेरिट क्र. 1) को नियुक्त किया जाकर उक्त आदेश (पृष्ठांकन) की कंडिका 3(1) के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वह मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी किये जाने के पश्चात् निर्धारित कालावधि में पदभार गृहण करें अन्यथा उनका नियुक्ति आदेश स्वत: प्रभावहीन होगा.

श्री मोहित मिश्रा के आवेदन तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मोहित मिश्रा ने हरियाणा न्यायिक सेवा में नियुक्ति पश्चात् पदभार ग्रहण करने के कारण मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) का पदभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है. अत:, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नियुक्ति आदेश दिनांक 31 अगस्त 2012 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.